संख्या-270/सैंतीस-2-2019-33(5)/84टीसी

प्रेषक,

डॉ0 सुधीर एम. बोबडे,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र,
पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनाँक-23 मई, 2019

विषयः- **पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत प्रयुक्त की जाने वाली औषधियों/वैक्सीन, उपकरणों हेतु क्रय नीति के निर्धारण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-515/क्र.प्र.से./क्रय नीति-5/2018-19, दिनांक-08.01.2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत प्रयुक्त की जाने वाली औषधियों/वैक्सीन, उपकरणों हेतु क्रय नीति निर्धारण के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या-343/सैंतीस-2-2017-33(5)/84, दिनांक-10.03.2017 एवं तत्क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या-1876/सैंतीस-2-2018-33(5)/84टीसी, दिनांक-05.06.2018 तथा शासनादेश संख्या-3014/सैंतीस-2-2018-33(5)/84टीसी, दिनांक-04.09.2018 में किये गये कतिपय संशोधनों के साथ उक्त नीति को वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 (दो वर्ष के लिए दर निर्धारण/अनुबन्ध) के लिए निर्धारित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत प्रयुक्त की जाने वाली औषधियों/वैक्सीन, उपकरणों के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए नीति निम्नवत् निर्धारित की जाती है:-

1. औषधि, वैक्सीन, उपकरण, मिनरल मिक्स्चर की पृथक-पृथक ई-निविदा आमंत्रित की जायेगी। इनके निविदा प्रपत्र, निविदादाता की पात्रता भी पृथक-पृथक निर्धारित की जायेगी।
2. औषधियों में से जो सामग्री जेम पोर्टल पर दर अनुबन्ध उपलब्ध होगी, उनको हटाते हुए निविदा पर पृथक-पृथक रूप से विचार किया जायेगा।
3. औषधियों हेतु भारत सरकार के उपक्रमों (सी.पी.एस.सी.) से सीधे अधिकतम 25 प्रतिशत क्रय किया जायेगा। शेष हेतु (जेम पोर्टल पर उपलब्ध औषधियों को हटाने के बाद व सी.पी.एस.सी. से क्रय करने के पश्चात् शेष को 25 प्रतिशत घटाने के बाद अवशेष) ई-निविदा आमंत्रित की जायेगी। सी.पी.एस.सी. से सीधे क्रय भारत सरकार के MANUAL FOR PROCUREMENT OF GOODS 2017 के प्राविधान 1.10.2 के क्रम में किया जायेगा।
4. इसी प्रकार (वैक्सीन, उपकरण, मिनरल मिक्स्चर में भी जो सामग्री जेम पोर्टल पर दर निर्धारण/अनुबन्ध पर उपलब्ध होगी को छोड़कर) अवशेष मात्रा हेतु ही ई-निविदा की जायेगी।
5. ई-निविदा मात्र 02 वर्ष हेतु (दर निर्धारण/अनुबन्ध) होगी।
6. ई-निविदादाताओं को गत् 03 वर्षों में प्रत्येक वर्ष 05 करोड़ का टर्न ओवर रहेगा परन्तु एम.एस.एम.ई./एस.एस.आई. इकाईयों को टर्न ओवर से छूट प्रदान होगी।
7. (क) विगत् 03 वर्षों में किसी भी एक कोटेड प्रोडक्ट (औषधि), जिसके लिए निविदा भरी जा रही है, भारत के न्यूनतम एक तिहाई राज्यों (अर्थात् न्यूनतम 08 राज्यों) में आपूर्ति करायी गयी हो, इस विषयक निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें:-

क्र0	राज्य का	होल सेलर	वर्ष 2016-17			वर्ष 2017-18			वर्ष 2018-19		
			इन्वायस	इन्वायस	मूल्य	इन्वायस	इन्वायस	मूल्य	इन्वायस	इन्वायस	मूल्य

	नाम	का नाम	संख्या	का दिनांक		संख्या	का दिनांक		संख्या	का दिनांक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

(ख) उत्पादनकर्ता से होलसेलर/डिस्ट्रीब्यूटर हेतु इनवायस कापी एक ही हो।

3- उक्त के अतिरिक्त एफ.एम.डी. वैक्सीन, एच.एस. वैक्सीन व अन्य वैक्सीन तथा पशु आरोग्य मेलों के लिए औषधियों, वैक्सीन एवं मिनरल मिक्स्चर को ई-निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने अथवा दिनांक-30.06.2019 (जो भी पूर्व में हो) तक वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 के वैध एवं पात्र आपूर्तिकर्ताओं से ही वर्ष 2018-19 की दरों पर ही, कार्यहित व जनहित में क्रय किया जाये।

4- विभाग की अन्य योजनाओं में भी उक्त प्रक्रिया को लागू किया जाये।

5- उक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त शासनादेश दिनांक-10.03.2017, 05.06.2018 एवं 04.09.2018 में शेष उपबन्ध/शर्तें यथावत् रहेंगी।

भवदीय,

/

(डॉ0 सुधीर एम. बोबडे)
प्रमुख सचिव।

पृ0सं0-270(1)/सैंतीस-2-2019- तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी (प्रथम)/लेखा अनुभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद, लखनऊ।
3. अपर निदेशक ग्रेड-1, बी.पी. संस्थान, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. अपर निदेशक ग्रेड-1 (गोधन विकास), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5. संयुक्त निदेशक, रोग नियंत्रण, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6. निदेशक, उद्योग, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
7. प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, उ0प्र0पं0 दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान, मथुरा।
8. प्रोफेसर ऑफ सर्जरी, उ0प्र0पं0 दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान, मथुरा।
9. मुख्य ड्रग कन्ट्रोलर, उ0प्र0, लखनऊ।
10. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक ग्रेड-2/मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पशुपालन विभाग, उ0प्र0।
12. उप निदेशक, प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, लखनऊ।
13. वित्त नियंत्रक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
14. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 प्रहलाद बरनवाल)
अनु सचिव।